लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में

2023 का विधेयक संख्यांक 124.

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हंड्रेड एंड ट्वन्टी एट्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अनुच्छेद 239कक का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित हैं), ऐसी रीति में, जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।"।

नए अनुच्छेद 330क का अंत:स्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 330 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"330क. (1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।"।

नए अनुच्छेद 332क का अंत:स्थापन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण ।

"332क. (1) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

(3) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।"।

नए अनुच्छेद 334क का अंत:स्थापन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना ।

"334क. (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा संविधान (एक सौ

अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद्, विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा ।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम प्रत्येक पश्चातवर्ती परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होगा, जैसा संसद् विधि द्वारा अवधारित करे ।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।"।

संशोधन का लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में आरक्षण को प्रभावित न करना ।

6. संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में किए गए संशोधन, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में उक्त अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक, यथास्थिति, लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने के पश्चात्, राष्ट्र ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के ध्येय के साथ अमृतकाल में अपनी यात्रा आरंभ की है । इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना में समाज के सभी वर्गों का योगदान अपेक्षित है । महिलाएं, जो जनसंख्या का आधा भाग हैं, की भूमिका इस ध्येय को प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

2. सरकार ने, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण के माध्यम से "नारी शक्ति" को अग्रिम मोर्चे पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका परिणाम महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुंच की उपलब्धता में सारवान रूप से सुधार के रूप में हुआ है । सरकार ने, विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अधीन शौचालयों तक पहुंच, मुद्रा योजना आदि के माध्यम वित्तीय समाविष्टता भी है, 'जीवनयापन की सुगमता' पर भी बल दिया है । यद्यपि, महिलाओं के सही सशक्तिकरण के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है क्योंकि वे एक विभिन्न दृष्टिकोण लाती हैं और विधायी चर्चाओं और निर्णय करने की गुणवत्ता को समृद्ध करती हैं ।

3. जब महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों में सारवान रूप से भाग लेती हैं, उनका राज्य विधान मंडलों के साथ संसद् में भी प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है । राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के उच्चतर प्रतिनिधित्व का उपबंध करने की मांग काफी समय से लंबित है । लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने के अनेक प्रयास हुए हैं । ऐसा अंतिम प्रयास वर्ष 2010 में तब किया गया था जब राज्य सभा ने महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक पारित किया था किंतु इसे लोक सभा में पारित नहीं किया जा सका ।

4. लोक प्रतिनिधियों के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने में महिलाओं की अधिक भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए सांविधानिक संशोधन करने के लिए एक नए विधान को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया, जिससे लोक सभा, प्रत्येक राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा में कुल स्थानों में यथाशक्य एक-तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध किया जा सके ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 सितंबर, 2023

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय होने की संभावना नहीं है ।